फिर भी, यह रियायत उन कर्मचारियों को नहीं दी जायगी, जिन्हें उस अवधि के दौरान क्षमायाचना करने पर जेल से रिहा कर दिया गया था ।

जहां तक भारत रक्षा एवं आंतरिक सुरक्षा नियम (डी० आई० एस० आई० आर०) के अधीन गिरफ्तार किए गए कर्मचारियो का संबंध है, प्रशासनिक प्राधिकारियों से अनुरोध किया गया है कि वे सम्बन्धित कर्मचारियों द्वारा किए गए अपराधों के स्वरूप और तत्सम्बन्धी मामलों पर न्यायालय के आदेशों को ध्यान में रखते हुए, प्रत्येक मामले की गुणावगुण के आधार पर जांच करें और ऐसा निर्णय लें जो कि कर्मचारियों को बहाल के लिए और उक्त अवधि की ड्यूटी के रूप में माने जाने के लिए आवश्यक हो। इस सम्बन्ध में मंत्रालयों/विभागों को मागनिर्देशन पहले ही जारी किए जा चुके है । जिन व्यक्तियों ने आर्थिक अपराध अथवा हिंसात्मक कार्य अथवा ऐसे कार्य किए है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए हानिकर हैं, उनके मामलों की पुनरीक्षा नहीं की जाएगी ।

(ग) इस सम्बन्ध में सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है । यह सम्बन्धित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों का कार्य है कि वे न्यायालयों में लम्बित मामलों की गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार पुनरीक्षा करें ।

t[THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI P. D. PATIL): (a) and (b) Instructions have already be?n issued for the payment of full pay and allowances to Central Government employees for the period of suspension in respect of those who were detained under MISA and for the period intervening between termination of service and reinstatement in respect of those whose services were terminated under proviso (c) to article 311(2) during the emergency. Such periods will be treated as duty for purnoses of increment and pension. However this concession will not be given to these employees who were released from jail during that period on submitting an apology.

As regards the employees arrested under DISIR, the administrative authorities are requested to examire each case on merits depending on the nature offences committed by the employees concerned and in the light of the court orders on the respective cases and. take such decision as may be necessary for the reinstatement of the employees as well as for treating the period as duty. Guidelines in this regard have already been issue to the Ministries/Departments. Cases of persons who have committed economic offences or acts of violence or acts prejudicial to national security are not to be reviewed.

(c) information is not readily available in this regard. It is for the State Governments/Union Territory Administrations concerned to review the pending cases in the Courts of law in accordance with the instructions issued by the Ministry of Home Affairs.]

t[ ] English translation.

मंगलौर तूतीकोरिन, कोचीन और मरमगोआ की बन्दरगाहों के कर्मचारियों के वेतनमान

495. **श्री सुन्दर सिंह भंडारी** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंगलौर, तूतीकोरिन, कोचीन और मरमगोआ की बन्दरगाहों में विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों के क्रमशः वेतनमान क्या-क्या हैं और यदि उनके वेतनमानों में कोई अन्तर है तो इसके क्या कारण है ;

(ख) क्या सरकार मंगलौर और तूतीकोरिन की बन्दरगाहों के कर्मचारियों के वेतनमानों को, पत्तन नियासों के प्रबन्धाधीन अन्य मुख्य बन्दरगाहों के कर्मचारियों के बराबर करने का विचार रखती है ; और

(ग) मंगलौर, तूतीकोरिन, कोचीन और मरमगोआ बन्दरगाहों पर कितना-कितना माल उतारा और चढ़ाया जाता है तथा पिछले तीन वर्षों के दौरान उनसे कितनी कितनी आय हुई ।

Pay scales of the employees of the Mangalore, Tuticorin, Cochin and Marmagao ports

495. SHRI SUNDER SINGH BHANDARI: Will the Minister of SHIPPING AND TRANSPORT be pleased to state:

(a) what are the pay-scales of the employees under various categories serving at the Mangalore, Tuticorin, Cochin and Marmagao ports, respect ively and what are the reasons lor different in their pay scales;

(b) whether Govemrnert propose to put at per the pay scales of the employees of Mangalore and Tuticorin ports with those of the employees of the major ports managed by the Port Trusts; and

(c) what is the quantum of cargo handled at Mangalore, Tuticorin, Cochin and Marmagao ports and the income earned therefrom during the last three years.]

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में प्रभारी राज्य मंत्री (श्री चांद राम) : (क) स्पष्टतया इस प्रश्न में मारमुगांव और तूतीकोरिन पत्तनों का उल्लेख नव मंगलौर और नव तूतीकोरिन के महा पत्तनों का है । नव मंगलौर और नव तूतीकोरिन पत्तनो प्रशासन केन्द्रीय सरकार द्वारा विभागीय तौर पर किया जाता है और इसलिए उन के कर्मचारियों को केन्द्रीय सरकार के वेतनमान और भत्ते लागू होते है । दूसरी ओर कोचीन और मारमुगांव पत्तनों का प्रशासन महा पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत गठित संबंधित पत्तन न्यासों द्वारा किया जाता है । कीचीन और मारमुगांव तथा अन्य महा पत्तन न्यासों के भी कर्मचारियों के वेतनमान केन्द्रीय सरकार के वेतन ढांचे से अलग कर दिए गये हैं और उन्हें इस प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा गठित विभिन्न समितियों द्वारा तैयार किए वेतनमान लागू होते है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और उसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा ।

t[THE MINISTER OF STATE IN-CHARGE OF THE MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT (SHRI CHAND RAM): (a) Apparently the reference to Mormugao and Tuticorin Ports in this Question is to the Major Ports of New Mangalore and New Tuticorin. New Mangalore and New Tuticorin Ports are administered departmentally by the Central Government and as such their employees are governed by the Central Government scales of pay and allowances. On the other hand Cochin and Mormugao Ports are administered by the respective Port Trusts set up under the Major Port Trusts Act, 1963. The pay-scales of the employees at Cochin, and Mormugao as also of other Major Port Trusts have been delinked from the Central Government pay structure and are governed by the scales of pay and allowances evolved by different Committees set up by Government for this purpose.

(b) No, Sir.

(c) The information is being collect ed and will be laid on the Table of the Sabha.]

I.A.S, and I.P.S. Officers Indicted by the Capoor Commission

496. SHRI MULKA GOVINDA REDDY: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether the Central Government have received any request from the Haryana Government for taking action against I.A.S, and I.P.S. officers indict-